कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 428 दिनांक– 01 जून, 2026

डेन्टल हाईजिनिस्ट परीक्षा– 2025

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्ट के रिक्त 30 पदों (बैकलॉग सहित) पर अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 802, **दिनांकः 19 नवम्बर, 2025** के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अंतर्गत डेण्टल हाईजिनिस्ट के रिक्त 30 पदों (बैकलॉग सहित) पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 397, दिनांक **15 मई 2026** द्वारा डेण्टल हाईजिनिस्ट के रिक्त **30** पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण अनुक्रमांकवार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था।

जारी विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले श्रेणी–उपश्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यालय **उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून** में दिनांक **16 जून 2026 (मंगलवार) प्रातः 10.00 बजे** आमंत्रित किया जाता हैः–

4620231080	4620231095	4620231051	4620231069	4620231088	4620231085
4620231036	4620231099	4620231101	4620231071	4620231094	4620231027

श्रेणी–उपश्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कट–ऑफ अंक सूची–

क्रमांक	श्रेणी–उपश्रेणी	Short Term	कट–ऑफ अंक
1.	अनुसूचित जाति	SC	36.00
2.	अनुसूचित जाति–उत्तराखण्ड महिला	SC-UKW	अनुपलब्ध
3.	अनुसूचित जनजाति	ST	अनुपलब्ध
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	OBC	48.25
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग– उत्तराखण्ड महिला	OBC-UKW	51.00
6.	अनारक्षित	UR	55.00
7.	अनारक्षित– उत्तराखण्ड महिला	UR-UKW	53.25

नोटः

1. **अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं अंतिम कट–ऑफ अंक सूची पृथक से जारी की जायेगी।**
2. डेण्टल हाईजिनिस्ट पद हेतु निर्धारित किये गये अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किये गये तथ्यों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अभिलेख एव प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को **मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ** निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगेः–

I. औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति (अनिवार्य)

II. डेण्टल हाईजिनिस्ट पद हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**

III. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। **(अनिवार्य)**

IV. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**

V. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**

VI. इण्टरमिडिएट अंक पत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**

VII. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**

VIII. डेण्टल हाईजिनिस्ट का डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष/सैमेस्ट के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**

IX. डेण्टल हाईजिनिस्ट का डिप्लोमा प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**

X. डेन्टिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिबुनल, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**

XI. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र *(यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)* – 02 स्वप्रमाणित प्रति।

XII. स्थाई निवास प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति

XIII. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता–पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र *(यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)*– 02 स्वप्रमाणित प्रति।

XIV. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। *(यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)*– 02 स्वप्रमाणित प्रति।

XV. दिव्यांगजन/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे/कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र *(यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)* – 02 स्वप्रमाणित प्रति।

XVI. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रुप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" *(यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)* – 02 स्वप्रमाणित प्रति।

XVII. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।– 02 स्वप्रमाणित प्रति।

XVIII. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, – 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)**

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग–अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग–अलग सैट क्रमबद्ध रुप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है। अंतिम परीक्षा परिणाम अभिलेख सत्यापन के उपरान्त जारी किया जायेगा।

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव